बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
***

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक–

सं0सं0:–06 / एन–07–02 / 2018.................... नर्सेज ट्रेनिंग–रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इक्जामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–04 के उपनियम–II के आलोक में बिहार राज्य के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में नर्सिंग स्कूल / संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की जाती हैं। अनुमति प्राप्ति के उपरांत उपनियम–III के आलोक में पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए आवेदन समर्पित करना होता हैं।

अनुमति प्राप्ति के उपरांत मान्यता के लिए आवेदन अनुमति आदेश निर्गत की तिथि से अधिकतम 09(नौ) माह के अंदर समर्पित करने के लिए समय–सीमा निर्धारित किया जाता हैं। उक्त निर्धारित समय–सीमा के अंदर मान्यता के लिए आवेदन समर्पित नहीं करने की स्थिति में अनुमति आदेश स्वतः रद्द समझा जाएगा तथा नये सिरे से अनुमति के लिए संस्थान को आवेदन समर्पित करना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक ....1920(6)........ / पटना दिनांक ...07/12/18......

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना / निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आदेश की प्रति आम सूचनार्थ विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कर दी जाय।

सरकार के विशेष सचिव।

E:\Rakesh\Shnrc